कार्यालय–मध्याह्न भोजन योजना, नालंदा
(पी0एम0 पोषण योजना)

पत्रांक ......1169...... /
दिनांक 06/...12.../2023

फोन नं0 :– 9264429261
ई मेल पता–mdmnalanda@gmail.com

:– **आम सूचना** :–

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा VC के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में जिले में मध्याह्न भोजन से आच्छादित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में थाली क्रय हेतु संवेदकों/एजेंसीयों को सूचीबद्ध (EMPANELLED) करने हेतु निदेशित किया गया है। स्टील थाली की विशिष्टियाँ एवं अधिकतम दर का निर्धारण निदेशालय के पत्रांक 2558 दिनांक 21.11.2023 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त पत्र को विभागीय Website अथवा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है।

अतः इस सूचना के माध्यम से वैसे इच्छुक संवेदक/एजेंसी जो निबंधित हो तथा जिनके पास 1. GST NUMBER, 2. PAN NUMBER, 3. आधार संख्या, 4. तीन वर्षो (2021–22, 22–23 & 23–24) का आई0टी0आर0 5. एजेंसी की काली सूची में सम्मिलित नहीं होने संबंधी स्व घोषणा पत्र 6. निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले थाली का नमूना हो, वे अपना आवेदन दिनांक 12.12.2023 के अपराह्न 03:00 बजे तक हाथों हाथ या पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय के ई–मेल mdmnalanda@gmail.com के माध्यम से कार्यालय जिला पी.एम. पोषण योजना, नालन्दा में समर्पित कर सकते है।

विश्वासभाजन

6/12/2023
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
पी0एम0पोषण योजना, नालन्दा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालन्दा।

BZ/59827/2023-SEC_1-EDU DEP

/90732/2023

म०भो०/की०– ES/94/2023 2558

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा०प्र०से०
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार।

पटना, दिनांक 21.11.23

विषय:– मध्याह्न भोजन योजना द्वारा आच्छादित विद्यालयों के लिए स्टील थाली क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति के अनुपात में बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन करने हेतु मात्र 30 से 40 प्रतिशत ही थाली उपलब्ध है। पर्याप्त थाली उपलब्ध नहीं रहने के कारण मध्याह्न भोजन करने के लिए बच्चें थाली खाली होने का इन्तजार करते है। इस कारण मध्याह्न भोजन करने के दौरान बच्चो का एवं शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। फलस्वरूप बच्चों का पठन–पाठन प्रभावित होता है।

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि मध्याह्न भोजन करने हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालय में बच्चों के नामांकन का औसत 30 प्रतिशत के आधार पर स्टील थाली क्रय करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को राज्य योजना मद से विद्यालय शिक्षा समिति (G.O.B. Account) के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

स्टील थाली क्रय करने के लिए प्रत्येक विद्यालय क्रियान्वयन ईकाई होगा, अर्थात् प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने विद्यालय के लिए स्थानीय बाजार से स्टील थाली क्रय किया जाएगा।

स्टील थाली क्रय करने के संबंध में निम्नवत् दिशा–निर्देश दिया जा रहा है:–

1. स्टील थाली का अनुमानित दर तथा विवरणी प्राप्त करने के लिए निदेशालय के द्वारा स्थानीय बाजार सर्वेक्षण कराया गया है। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर वर्ग 1 से 5 के लिए स्टील थाली का दर 120 रू0 प्रति थाली एवं वर्ग 6 से 8 के लिए 140 रू0 प्रति थाली अधिकतम दर निर्धारित किया जाता है।
2. बाजार सर्वेक्षण के आधार पर स्टील थाली की विवरणी निम्नलिखित प्रकार से अनुशंसित की जाती है :–

वर्ग	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	गेज स्टील चादर की मोटाई	वजन
वर्ग 1 से 5	24 cm -27 cm	24 cm -27 cm	2.5 to 3.5 cm	25-22 0.5 mm to 0.7 mm	250 gm -270 gm
वर्ग 6 से 8	27 cm-30 cm	24 cm-27 cm	2.5 to 3.5 cm	25-22 0.5 mm to 0.7 mm	270 gm -300 gm

Scanned with OKEN Scanner

3. यदि उपरोक्त अनुशंसित विवरणी के अनुसार स्थानीय बाजार में थाली उपलब्ध नहीं है तो प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार गोलाकार अथवा उच्च गुणवता का थाली उपरोक्त निर्धारित अधिकतम दर के अधीन स्थानीय बाजार से क्रय कर सकते है।
4. प्रधानाध्यापक थाली क्रय करने के लिए स्थानीय बाजार से कम से कम तीन कोटेशन प्राप्त करेंगे एवं न्यूनतम दर देने वाले विक्रेता से थाली क्रय करेंगे।
5. उल्लेखनीय है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा थाली क्रय करने के लिए किसी भी विक्रेता को अग्रिम राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। थाली तथा अभिश्रव प्राप्त करने के उपरांत ही विक्रेता को विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
6. जिला के किसी विद्यालय में अतिरिक्त थाली की आवश्यकता है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा निदेशालय से संख्यात्मक प्रतिवेदन के साथ अतिरिक्त राशि की माग की जा सकती है।
7. मध्याह्न भोजन योजना, निदेशालय के द्वारा जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को अनुलग्नक– 01 के अनुसार स्टील थाली क्रय करने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
8. जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा उपरोक्त प्राप्त राशि को जिला के प्रत्येक विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति (G.O.B. Account) के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनांक 30.11.2023 तक अनिवार्य रूप थाली क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. थाली क्रय करने के उपरांत प्रधानाध्यापक अनुलग्नक– 02 के अनुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित प्रखंड साधन सेवी को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रखंड साधन सेवी स्टील थाली का भौतिक सत्यापन करते हुए दिनांक 10.12.2023 तक प्रखंड के सभी विद्यालयों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समेकित कर जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना उक्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को समेकित कर निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार दिनांक 15.12.2023 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Signed by Mithilesh Mishra
Date: (मिथिलेश मिश्र) 22:38:45

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner